

इंग्लैंड में अंगदान सम्बंधी कानून बदल गया है

अभी भी आपके पास विकल्प है

इंग्लैंड में अंगदान अब 'ऑफ्ट आउट' प्रणाली में बदल चुका है

इंग्लैंड में यह माना जाएगा कि सभी वयस्क उनकी मृत्यु पर अंग एवं ऊतक दान करने के लिए सहमत हैं, जब तक कि उन्होंने दान न करने का निर्णय दर्ज न किया हो, अपने परिवार को यह बताया हो कि वे दान नहीं करना चाहते अथवा वे दान प्रक्रिया से हटाए गए निम्नलिखित समूहों में से किसी एक का हिस्सा न हों:

- 18 वर्ष से कम उम्र के लोग
- जिन लोगों में नई व्यवस्था को समझने एवं इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करने सम्बंधी मानसिक क्षमता की कमी हो
- ऐसे लोग जो अपनी मृत्यु से पहले 12 महीने से कम समय तक इंग्लैंड में रहे हों
- इंग्लैंड आने वाले पर्यटक
- ऐसे लोग जो स्वेच्छा से यहां नहीं रह रहे हों।

नई प्रणाली केवल उन अंगों एवं ऊतकों पर लागू होगी, जिनका प्रयोग नियमित प्रत्यारोपण के लिए किया जाएगा।

आपके पास अभी भी यह विकल्प है कि आप मरने पर प्रदाता बनना चाहते/चाहती हैं अथवा नहीं। इस तथ्य-पत्रक में आपके विकल्पों का उल्लेख किया गया है।

कृपया अंगदान सम्बंधी अपना निर्णय लें तथा इसे साझा करें

अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ इस बारे में चर्चा करें ताकि उन्हें आपके तथा आपको उनके निर्णय के बारे में मालूम हो।

आपके अंगदान सम्बंधी निर्णय को साझा करना क्यों जरूरी है?

आपकी मृत्यु पर आपके परिवार से परामर्श किया जाएगा कि आप अंगदान कर सकते/सकती हैं अथवा नहीं।

ऐसा करने के अनेक कारण हैं:

- आपके परिवार का ध्यान रखते हुए
- हो सकता है आपके अंगदान सम्बंधी निर्णय के बारे में उनके पास NHS अंगप्रदाता रजिस्टर में दर्ज किए गए किसी भी रिकॉर्ड की तुलना में अधिक नवीन सूचना हो
- आपका परिवार हमें आपके किसी विशेष अनुरोध अथवा अपेक्षाओं के बारे में बता सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंगदान पर आपकी आस्था अथवा विश्वास के अनुरूप आगे कार्रवाई हो
- आपके परिवार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपके अंग दूसरों को देने के लिए सुरक्षित हैं

यदि आपका कोई करीबी परिजन अथवा मित्र नहीं हैं, अथवा आपकी इच्छा है कि आपकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति से परामर्श किया जाए, तो आपके पास किसी विश्वसनीय प्रतिनिधि को नामित करने के लिए NHS अंगप्रदाता रजिस्टर का प्रयोग करने का विकल्प है।

अधिक जानने तथा अपना निर्णय दर्ज करने के लिए
organdonation.nhs.uk पर जाएं

अंग एवं ऊतक दान क्या है?

अंगदान किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए अंग का उपहार देना होता है जिसे प्रत्यारोपण की ज़रूरत होती है। UK में प्रतिवर्ष हज़ारों जिंदगियां अंग प्रत्यारोपणों द्वारा बचाई जाती हैं अथवा उनमें बेहतरी की जाती है। मृतकों द्वारा दान किए जा सकने वाले अंगों में निम्नलिखित अंग शामिल हैं:

- दिल
- फेफड़े
- गुर्दे
- अग्न्याशय
- लीवर
- छोटी आंत

त्वचा, हड्डी, हृदय के वाल्व तथा कोर्निया जैसे ऊतक भी दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

कानून क्यों बदला गया है?

अधिक जीवन बचाने तथा उन्हें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कानून बदला गया है। अंगदान में जबरदस्त प्रगति हुई है परंतु अभी भी अंगप्रदाताओं की कमी है। पूरे UK में प्रतिदिन कोई व्यक्ति किसी अंग प्रत्यारोपण का इंतज़ार करता हुआ मर जाता है।

क्या आपकी आस्था अथवा विश्वास का सम्मान किया जाएगा?

जी हाँ। इस बारे में किन्हीं भी उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए कि अंगदान प्रक्रिया से पहले, उसके दौरान अथवा उसके बाद आपकी आस्था अथवा विश्वास का कैसे सम्मान किया जाएगा, हमारे/हमारी विशेषज्ञ नर्स हमेशा परिवार से विचार-विमर्श के लिए अत्यंत वैयक्तिकृत दृष्टिकोण अपनाते/अपनाती हैं।

यदि आप NHS ऐप अथवा हमारी हेल्पलाइन के माध्यम से किसी अंगप्रदाता के रूप में पंजीकरण करते/करती हैं, तो आप उसमें बता सकते/सकती हैं कि आप यह चाहते/चाहती हैं कि NHS आपकी आस्था अथवा विश्वास के अनुरूप अंगदान के बारे में आपके परिवार एवं किसी अन्य उचित व्यक्ति से बात करे अथवा नहीं। हमारी विशेषज्ञ नर्स NHS अंगप्रदाता रजिस्टर में आपका पंजीकरण देखते समय यह देख सकेंगे/सकेंगी कि आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है अथवा नहीं।

आपकी आस्था अथवा विश्वास का सम्मान कैसे किया जाएगा, इस बारे में अधिक जानने के लिए

organdonation.nhs.uk पर जाएं

वे विकल्प जो आप चुन सकते/सकती हैं

आप अभी भी, किसी भी समय इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप किसी अंगप्रदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहते/चाहती हैं अथवा अंगदान से ऑप्ट आउट करना चाहते/चाहती हैं।

आप ये कर सकते/सकती हैं:

- **कोई अंगप्रदाता बनने के लिए पंजीकरण कराएं**
आपकी मृत्यु की स्थिति में अपने कुछ अथवा सभी अंगों एवं ऊतकों का दान करना चुनें
- **कोई अंगप्रदाता न बनने के लिए पंजीकरण कराएं**
सभी अंग एवं ऊतक दान से ऑप्ट आउट करें
- **बदलें अथवा संशोधन करें**
पिछले पंजीकरण से अपने विवरण अथवा अंगदान विकल्प को अद्यतन करें
- **आपकी ओर से निर्णय लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करें**
यह कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता/सकती है, जिस पर आप निर्णय लेने के लिए भरोसा करते/करती हैं, तथा इसका अर्थ यह है कि आपके निकटतम परिजन के बजाय इस व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा।
- **रजिस्टर से नाम वापिस लेना**
हम समझते हैं कि आप रजिस्टर से अपना नाम हटाना चाह सकते/सकती हैं। यदि आप रजिस्टर से नाम हटवा देते/देती हैं, तो हमारे पास फ़ाइल पर अंगदान सम्बंधी कोई निर्णय नहीं होगा।

इसके बारे में हमें बताएं, इसके बाद अपने परिवार को बताएं

अब कानून बदलने के बाद भी, अंगदान के सम्बंध में आगे कार्रवाई करने से पहले किसी मरीज के परिवार अथवा उसके निकटतम परिजन से संपर्क किया जाएगा।

जब परिजनों को पहले से पता हो कि उनके रिश्तेदार की क्या इच्छा थी, तो परिवार के सदस्यों को अंगदान के फैसलों का समर्थन करने में आसानी होती है।

NHS अंगप्रदाता रजिस्टर में शामिल होकर तथा अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को बताकर उन्हें यह जानने की निश्चितता प्रदान करें कि आप क्या चाहते/चाहती हैं।

अधिक जानने तथा अपना निर्णय दर्ज करने के लिए
organdonation.nhs.uk पर जाएं

आप अपना निर्णय NHS ऐप के माध्यम से भी दर्ज कर सकते/सकती हैं।

यदि आपको ऑनलाइन वह नहीं मिल रहा है जो आप चाहते/चाहती हैं अथवा आप अभी भी अनिश्चित हैं, तो आप अंगप्रदाता लाइन पर फोन कर सकते/सकती हैं, जिसका नम्बर है: **0300 123 23 23**

यदि आप सुन नहीं सकते/सकती, तो कृपया हमारी टेक्स्ट रिले सेवा का प्रयोग करें, जिसका नम्बर है: **18001 0300 1232323**
हमें **07860 034 343** पर टेक्स्ट करें

अतिरिक्त सूचनाएं

यदि आप NHS अंगप्रदाता रजिस्टर में अपना रिकॉर्ड संशोधित करना अथवा वहां से अपना नाम वापस लेना चाहते/चाहती हों, तो आप अंगप्रदाता लाइन संख्या **0300 123 23 23** पर फोन करके, **www.organdonation.nhs.uk** पर जाकर अथवा Freepost RRZK-SHUX-SBCK, NHS Blood and Transplant, Fox Den Road, Stoke Gifford, Bristol BS34 8RR को लिखकर ऐसा कर सकते/सकती हैं। आप NHS ऐप भी डाउनलोड कर सकते/सकती हैं तथा वहां अपने निर्णय में संशोधन कर सकते/सकती हैं।

NHS अंगप्रदाता रजिस्टर एक ऐसा गोपनीय एवं सुरक्षित डेटाबेस है, जहां आप यह बताते हुए कि आप मरने पर अपने अंग एवं ऊतक दान करना चाहते/चाहती हैं अथवा नहीं, अपने अंगदान सम्बंधी निर्णय को दर्ज कर सकते/सकती हैं। यदि अंगदान की संभावना बन जाती है, तो विशेषज्ञ नर्स यह देखने के लिए रजिस्टर की जांच करेंगे/करेंगी कि किसी व्यक्ति ने कोई अंगप्रदाता होने का या न होने का निर्णय लिया है अथवा नहीं।

इस तथ्यपत्रक में आपके निर्णय को दर्ज करने के अनेक तरीके दर्शाए गए हैं, लेकिन आप जो भी निर्णय लें, उसके बारे में अपने प्रियजनों को बताना ज़रूरी है ताकि वे आपके अंगदान सम्बंधी निर्णय का समर्थन कर सकें।



दिल का दौरा पड़ने के बाद केवल 55 वर्ष की उम्र में रोहित की मौत हो गयी।
उसके गुर्दे, हृदय के वाल्व तथा कॉर्निया दान किए गए थे तथा इनसे
दूसरों की मदद हुई।



NHSOrganDonor